

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 मई 2026 — वैशाख 16, शक 1948

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 मई 2026

अधिसूचना

RULE/338/2026-REGISTRATION.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, झूट तथा निर्बन्धन में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

शीर्षक "पंजीयन शुल्क की सारणी" के उप-शीर्षक "झूट तथा निर्बन्धन" के सरल क्रमांक (66) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(67) राज्य सरकार एतद्वारा अनन्यतः महिलाओं के पक्ष में निष्पादित संपत्ति अंतरण संबंधी दस्तावेजों पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क में निम्नानुसार कमी करती है :-

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी के अनुच्छेद-एक के खण्ड (क) से संबंधित विलेखों में यथा प्रभार्य शुल्क में 50% की कमी की जाती है;
2. रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी के अनुच्छेद-एक की टिप्पणी 2 के खण्ड (क) से संबंधित विलेखों में यथा प्रभार्य शुल्क में 50% की कमी की जाती है;
3. रजिस्ट्रीकरण शुल्क की सारणी के अनुच्छेद-एक की टिप्पणी 5 से संबंधित विलेखों में यथा प्रभार्य शुल्क में 50% की कमी की जाती है।

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 मई 2026

RULE/338/2026-REGISTRATION.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक RULE/338/2026-REGISTRATION दिनांक 06-05-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 6th May 2026

NOTIFICATION

RULE/338/2026-REGISTRATION.— In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), the State Government, hereby, makes, the following further amendment in the Exemptions and Reductions in Registration Fee namely :-

AMENDMENT

In the said notification, -

In sub-head "Exemptions and Reductions" of Heading "Table of registration fees after serial number (66), the following shall be added, namely: -

"(67) The State Government, hereby, provides the following concessions on the applicable registration fee for documents related to transfer of property executed exclusively in Favor of women: -

1. A reduction of 50% on the applicable fee is granted for documents mentioned in clause (a) of Article-I of Schedule of Registration Fees.
2. A reduction of 50% on the applicable fee is granted for documents mentioned in clause (a) of note 2 of Article-I of Schedule of Registration Fees;
3. A reduction of 50% on the applicable fee is granted for documents mentioned in note 5 of Article-I of Schedule of Registration Fees.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANKIT ANAND, Secretary.